ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर,जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री दीना नाथ	01.04.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री संतोष कुमार	01.04.2022 से 14.07.2022
2	श्री नरोतम राम	14.07.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कोटला खनुला के लेखों की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	32.57
2	6(क)	गृह कर की वसूली न करना	0.08
3	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	0.05
4	8(क)	रॉयल्टी से सम्बन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को भुगतान	01.41
5	8(ख)	टीडीएस की कटौती न करके वसूली न करना	0.02
6	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.95

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04-11-2024 से 11-11-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**04/22**	**05/22**
2023-24	**05/23**	**02/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया

है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है । अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-gpkotla/16 दिनांक:-11/11/2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व 5th state:- ग्राम पंचायत कोटला खनुला के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व 5th state की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1319536.29	647393	1966929.29	742920	1224009.29
2023-24	1224009.29	544876	1768885.29	621942	1146943.29

(ii) अन्य अनुदान :-ग्राम पंचायत कोटला खनुला, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की अन्य अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	554535	1177700	1732235	635668	1096567
2023-24	1096567	317466	1414033	577098	836935

Bank accounts detail of Gram Panchayat Kotla khanula:-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2024 (₹)
H.P state cooperative bank Gohar	31010105027	Nidhi & 5th state	1158943.29
H.P state cooperative bank Gohar	31010109119	Planning Head	836935
		Total	**1995878.29**

Bank Reconcilation as on 31 03-2024		
Balance as per cash book	1983878.29	
Add:-Payment of ₹ 45000 entered in own source cash book as on 06.02.2024,but in pass book payment of ₹33000 entered on dated 06.02.2024,means exess payment of ₹12000 entered in cash book on dated 06.02.2024 .	12000	1995878.29
Balance as per Pass book		**1995878.29**
Net Difference		**nill**

(iii) 15वां वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत कोटला खनुला, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	891363	1144230	2035593	706563.16	1329029.84
2023-24	1329029.84	369145	1698174.84	424415	1273759.84

Bank Reconcilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1273759.84		
Add:-intt of ₹ 9719 taken in pass book as on dated 31.12.2023 but not taken in cash book	9719		
add:- amount of ₹ 3500 deposited in pass book as on dated 09.01.2024 but not taken in cash book	3500		
less:-expenditure of ₹ 67513 occurs in pass book as on dated 28.04.2022 but not taken in cash book		67513	1219465.84
Balance as per Pass book A/C No.31010116838			1219465.84
Net Difference			nill

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	5982631	0	5982631	5982631	0
2023-24	0	4736833	0	4736833	4736833	0

(v) एसबीएम

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	246100	0	246100	246100	0
2023-24	0	57346	0	57346	57346	0

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत कोटला खनुला के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये ।

(ख) अनुदान ₹ 32.57 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 32,57,638.13 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.08 लाख की वसूली न करना** :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कोटला खनुला के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹ 7780** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार पंजीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार

ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹4600/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	2400
2.	2023-24	2200
	कुल जोड़	**4600**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बन्धित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जोकि उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPकोटला/05 दिनांक:-05.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक-11.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि :-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i)पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व सम्पदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जी की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया की प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाती है जोकि नियमो के विरुद्ध था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./ 2024/gpkotla-07 दिनांक-06.11.2024 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर अधियाचना संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

(घ) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 0.01 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 400 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	दर्ज नही किया गया	513718	उमेश ठाकुर सुपुत्र श्री गजेन्द्र सिंह	23.02.2022	24.04.2022	400	200	200
2	दर्ज नही किया गया	513733	योगेश कुमार सुपुत्र श्री लायक राम	06.04.2022	10.05.2022	400	200	200
कुल योग								**400**

सचिव ग्राम पंचायत कोटला खनुला को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/GPkotla-06 दिनांक:-05.11.24 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया

नही जाएगा ,। अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना:-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर हीटर व पंखे ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए केवल 17 कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दिए गए आवेदन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस आवेदन के अन्तर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त आवेदन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जोकि गंभीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण

अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpkotla-08 दिनांक-06.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. **(क) रॉयल्टी से सम्बन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 01.41 लाख का भुगतान :-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स'या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे **रॉयल्टी** का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी.एवं.पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "एक्स"या "डबल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹141114 का अनियमित भुगतान किया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	मात्रा (cum)	भुगतान (₹)
15 वां वित्त आयोग					
1	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर	XVFC/2022-23/P/01 दिनांक 07.05.2022	रेत	5.37	7949.7

	बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी				
2	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	XVFC/2022-23/P/01 दिनांक 07.05.2022	बजरी	2.28	3567
3	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	XVFC/2022-23/P/02 दिनांक 07.05.2022	रेत	6.28	9297.54
4	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	XVFC/2022-23/P/02 दिनांक 07.05.2022	बजरी	8.41	13157.4
	मनरेगा				
5	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	064/15.09.2021	बजरी	12.75	18996.6
6	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	256/16.07.2021	रेत	12.75	18876.3
7	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर	256/16.07.2021	बजरी	4.25	6649.1

	जिला मण्डी				
8	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	086/21.02.2022	रेत	6.36	9864.36
9	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	086/21.02.2022	बजरी	2.12	3474.18
10	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	083/18.02.2022	रेत	6.36	9864.36
11	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	083/18.02.2022	बजरी	2.12	3474.18
12	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	084/20.02.2022	रेत	3.72	6138
13	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	084/20.02.2022	बजरी	1.84	3128

14	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	085/20.02.2022	रेत	6.36	9864.36
15	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	085/20.02.2022	बजरी	2.12	3474.18
16	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	087/23.02.2022	रेत	6.36	9864.36
17	दर्शन सिंह ठेकेदार गाँव शलोग डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मण्डी	087/23.02.2022	बजरी	2.12	3474.18
					141113.8

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpkotla-10 दिनांक-07.11.2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ ज़ोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन

ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 2267 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **निम्न प्रकार से है :-**

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या / दिनांक**	**वाउचर संख्या**	**मद का नाम**	**शीर्ष**	**भुगतान राशि (excluded gst amount) (₹)**	**कटौती की दर**	**राशि (₹)**
1	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	001/04.05.2022	34	जेसीबी कटिंग	सामान्य निधि	25641	1%	256
2	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	002/08.05.2022	xvfc/2022-23/p/27 दिनांक 22.07.2022	जेसीबी कटिंग	15वां वित्त आयोग	40585.02	1%	406
3	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	003/11.05.2022	xvfc/2022-23/p/28 दिनांक 22.07.2022	जेसीबी कटिंग	15वां वित्त आयोग	40585.02	1%	406
4	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर	004/14.05.2022	xvfc/2022-23/p/29 दिनांक	जेसीबी कटिंग	15वां वित्त आयोग	40585.02	1%	406

	बस्सी तहसील गोहर		22.07.2022					
5	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	005/20.05.2022	xvfc/2022-23/p/30 दिनांक 22.07.2022	जेसीबी कटिंग	15वां वित्त आयोग	40585.02	1%	406
6	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	006/23.05.2022	xvfc/2022-23/p/31 दिनांक 22.07.2022	जेसीबी कटिंग	15वां वित्त आयोग	38760.12	1%	388
								2267

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpkotla-11 दिनांक-07.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.95 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में

₹94529.5 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	वाउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	058/23.03.2022	xvfc/2022-23/p/3 दिनांक 23.03.2022	15वां वित्त आयोग	एसपी ठाकुर & स्न्स	स्टील	9361.8
2	126/04.02.2023	89	सामान्य निधि	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	सरिया 12mm 8 mm	17028
3	127/07.02.2023	90	सामान्य निधि	पूरन चंद ठेकेदार गाँव शिहल डाकघर बस्सी तहसील गोहर	दरवाजे व खिड़कियाँ	13412
4	049/15.09.2021		मनरेगा	एसपी ठाकुर & सन्स	सरिया एंगल व पाइप	54727.45
					कुल	**94529.25**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/gpkotla-12 दिनांक-08.11.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा। उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान

अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/gpkotla-08 दिनांक-06.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर अधियाचना संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की

संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	381	59	322	486	403	403	23193	36	48600	25407
2023-24	357	141	216	483	404	404	20608	43	48300	27692

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षो में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPkotla-13 दिनांक:-08.11.2024 द्वारा

सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अधियाचना संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जोबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(घ) मनरेगा निधि के मस्ट्रोल की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹ 203 का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत कोटला खनुला विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०) की अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल के कुल दिनों के जोड़ों में त्रुटि के कारण **₹ 203** की मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया था जो कि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. no.	Mstr. No.	Name of Work	Name	Total Working Days	Actual Working Days	Extra Days	Rate	Amount (₹)
1	560/12.04.2022	c/o land dev. In the l/o ghanshyam s/o chaman lal	Smt. Yogender kumar	12	11	1	203	203
	कुल							**203**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः DK/MANDI/SAD/2024/GPKOTLA-14 दिनाँक-08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा । अतः

परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ङ) निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत कोटला खनुला के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि व सामान्य निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा व सामान्य निधि के चयनित माह 05/22 व 02/24 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था । अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-डी.के./ एम.ए.एन.डी.आई. /एस.ए.डी./2024-15 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों की माप पुस्तिका तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत नही की गयी थी, तकनीकी सहायक को माप पुस्तिका प्रस्तुत करने को कहा गया था परंतु तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अब आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करवा दिया जाएगा व लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था । परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर

बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु ज़ारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत कोटला खनुला द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 22.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

645- 649 का0/प्रति 22 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 159/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कोटला खनुला, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 JAN 2025

का0/प्रति

(कृष्ण लाल नेगी) 22.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

पैरा संख्या-4 (क)
परिशिष्ठ - (क)

Financial position of nidhi & 5TH State of Gram Panchyat kotla khanula					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1319536.29	647393	1966929.29	742920	1224009.29
2023-24	1224009.29	544876	1768885.29	621942	1146943.29
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book			1146943.29		
Add:-Payment of ₹ 45000 entered in cash book as on 06.02.2024,but in pass book payment of ₹ 33000 entered on dated 06.02.2024,means exess payment of ₹12000 entered in cash book on dated 06.02.2024 .			12000		1158943.29
Balance as per Pass book					1158943.29
Net Difference					nill

पैरा संख्या – 5(ii)
परिशिष्ठ – (ख)

Financial position of grants in aid of Gram Panchyat kotla khanula					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	554535	1177700	1732235	635668	1096567
2023-24	1096567	317466	1414033	577098	836935

सचिव

पैरा संख्या - 4 (iii)
परिशिष्ठ -(ग)

(27)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat kotla khanula					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	891363	1144230	2035593	706563.16	1329029.84
2023-24	1329029.84	369145	1698174.84	424415	1273759.84
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book			1273759.84		
Add:-intt of ₹ 9719 taken in pass book as on dated 31.12.2023 but not taken in cash book			9719		
add:- amount of ₹ 3500 deposited in pass book as on dated 09.01.2024 but not taken in cash book			3500		
less:-expenditure of ₹ 67513 occurs in pass book as on dated 28.04.2022 but not taken in cash book				67513	1219465.84
Balance as per Pass book					1219465.84
Net Difference					nill

1261516.84

सचिव

29

पैरा संख्या-5(v)

Financial position of SBM fc of Gram Panchyat kotla khanula					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0	246100	246100	246100	0
2023-24	0	57346	57346	57346	0

सचिव

पैरा संख्या - 6 (क)
परिशिष्ठ - (घ)

GRAM PANCHAYAT KOTLA KHANULA BLOCK GOHAR DISTT MANDI

HOUSE O/STANDING AS ON 31-03-2023

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLDS	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	477	20	5640	9540	15180	7640	7540

HOUSE O/STANDING AS ON 31-03-2024

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLDS	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	478	20	7540	9560	17020	9240	7780

सचिव
ग्राम पंचायत कोटला-खनुला
मण्डी (हि०प्र०)